

कार्यालय नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर (राज.)

क्रमांक : नविप्र/भवन मानचित्र शाखा / 1200

दिनांक : 5-4-13

श्री/श्रीमति विद्यावती देवी नगरसेवा समिति
पिता/पति (हिस गंध आमनाथ) 8 न्यासादी कालेनी
कालेनी, उदयपुर

विषय : न्यास के तथा न्यास द्वारा अनुमोदित योजनाओं के आवासीय भूखण्डों पर भवन निर्माण का अनुमति पत्र।
(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)

महोदया/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक 1575 दिनांक 21/11 के अनुसार नगर विकास प्रन्यास की प्लान नम्बर 14 नामी योजना के भूखण्ड संख्या 3111 ब्लॉक संख्या Block 5 राजस्व ग्राम खसर संख्या के योजना के प्लान के भूखण्ड संख्या 3111 क्षेत्रफल 10,000 वर्ग फीट/वर्ग मीटर/वर्ग गज पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण को इजाजत दी जाती है।

- भूखण्ड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।
सामने का सेट बैक 30'0" (तीस) फीट
पीछे का सेट बैक 15'0" (पंद्रह) फीट
पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 15'0" (पंद्रह) फीट पार्श्व 2- 15'0" (पंद्रह) फीट
- भूखण्ड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखण्ड के क्षेत्रफल के As per plan प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखण्ड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 40'0" (चालीस) फीट/मीटर है कृपया सड़क की उचित चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसाई, शौचालय आदी में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करें।
- आप भूखण्ड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखण्ड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखण्ड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं न्यास में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपको होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्च से ही तुड़वाया जाकर न्यास द्वारा आपसे खर्च वसूल किया जावेगा।
- इस भवन को इजाजत से भूमि/भूखण्ड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में न्यास एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
(शैक्षणिक प्रयोजनार्थ)
- यह स्वीकृति मात्र आवासीय/व्यावसायिक/संस्थागत उपयोग तथा भूतल प्लान मंजिल तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर न्यास द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भूखण्ड के सामने जहाँ सीवर लाईन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को घरेलू उपयोग में लिया जावे। 3000 sq ft water harvesting system लगाना अनिवार्य होगा।
- भूखण्ड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्रार्थी इस भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखण्ड को रहन रखे तो इसमें न्यास को कोई आपत्ति नहीं है।

(26/07/2013)
14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 3 वर्ष के लिए ही मान्य है। इस समयवधि के परचात इसे नवीनीकरण करना आवश्यक है।

15. पुरानी द्वारा दस लाख से अधिक लागत की निर्माण स्वीकृति नहीं गई है। अतः एक प्रतिशत सेस छूटा है।
जो नियमानुसार है।

16. वजन मानचित्र समिती की ठेक दिनांक 22/05/12 में लिये गये निर्माणानुसार भूखण्ड + दो तल की स्वीकृति जारी की जाती है।

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार न्यास
2. भूमिरूपान्तरण शाखा/विक्री शाखा/विपणन न्यास को प्रेषित कर लेख है कि प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्रम विभाग, उदयपुर

सक्षम अधिकारी

उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

CONDITIONS:

1. No Projection shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permitted only in way of balcony
2. Plinth height shall be not less than 2'-0 ft. from a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Kitchen shall be provided with proper ventilation system.
4. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
5. All the latrines and bathrooms shall have at least one external wall with proper ventilations.
6. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 ft.
7. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'- 0"ft. in ground floor and 10'- 0"ft. in upper floors.
8. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic tank shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
9. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
10. In case of Corner Plot. Corner of compound wall at road crossing shall be strictly rounded to the radius mentioned in the patta/ site plan.
11. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this department.
12. plot Number shall be put on Gate Pillar.
13. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office before it actually starts.
14. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approvee pan.
15. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

